भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3326

12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम स्वनिधि ऋण

+3326. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार 'पीएम स्वनिधि' ऋण के लिए पात्र चिह्नित किए गए रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार ऐसे चिह्नित रेहड़ी-पटरी वालों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है, जिन्होंने सफलतापूर्वक 'पीएम स्वनिधि' ऋण प्राप्त किया है;

(ग) क्या सरकार को 'पीएम स्वनिधि' सर्वेक्षणों से प्रवासी और मौसमी विक्रेताओं को बाहर रखे जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो उनके समावेशन और विक्रेता सूचियों के संशोधन के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कम डिजिटल साक्षरता, ऋण वितरण में देरी और अनौपचारिक विक्रेताओं के बीच अपर्याप्त जागरूकता जैसी बाधाओं से अवगत है, जो योजना के व्यापक उपयोग को रोक रही हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का सभी पात्र रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 'पीएम स्वनिधि' ऋण तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 'ऑफलाइन' आवेदन चैनल, समुदाय-आधारित शिकायत निवारण तंत्र और स्थानीय भाषाओं में लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) पथ विक्रेताओं की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के उपबंधों के तहत आयोजित सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है। सर्वेक्षण आयोजित करने, विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व संबंधित शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है। पीएम स्वनिधि एक मांग-आधारित योजना है, जिसमें पात्र पथ विक्रेता, जिनमें प्रवासी तथा सीमित अवधि वाले विक्रेता भी शामिल हैं, कार्यशील पूंजी सहायता प्राप्त करने हेतु पीएम स्वनिधि पोर्टल या पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप पर ऋण के लिए आवेदन करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत से लेकर 31 जनवरी 2026 तक, इस योजना के तहत ऋण लेने वाले पथ विक्रेताओं की संख्या 72.71 लाख है।

(घ) से (च) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने रेडियो जिंगल, टेलीविजन, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाने सहित कई पहलें की हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जिससे पथ विक्रेताओं के बीच योजना के लाभों के प्रसार और पहुंच को सुगम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, योजना के पुनर्गठन के बाद, लगभग 69 लाख लाभार्थियों को एसएमएस संदेश भेजे गए, जिससे उन्हें योजना के तहत शुरू की गई नई सुविधाओं और लाभों के संबंध में सूचित किया जा सके।

27 अगस्त 2025 को पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अनुमोदन के पश्चात, 17 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों के माध्यम से योजना की नई विशेषताओं का प्रचार-प्रसार किया गया तथा विक्रेताओं को संगठित करने, ऋण आवेदन प्रस्तुत करने, ऋण के शीघ्र संवितरण और लाभार्थियों के डिजिटल ऑनबोर्डिंग में सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 3 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक बैंकों तथा शहरी

स्थानीय निकायों दोनों के स्तर पर लंबित ऋण मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया।

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (डीपीए) के सहयोग से, नियमित रूप से डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। पथ विक्रेताओं के बीच डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ावा देने और कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, लाभार्थियों को कैशबैक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के साथ मिलकर, जमीनी स्तर पर कार्य-निष्पादन का आकलन करने और यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिए राज्यों क्षेत्रों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों/ऋण संस्थानों (एलआई) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लिकेशन में एक वॉइस-बेस्ड शिकायत निपटान प्रणाली है जो विक्रेताओं को आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देती है। पथ विक्रेता शिकायत निपटान के लिए सीधे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।

******